कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60302/2018–19/356 दिनांकः 02.07.2021

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
2. समस्त संस्था प्रधान, राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि।

विषय :– सत्र 2020–21 एवं 2021–22 हेतु कक्षा 9 की नवप्रवेशित छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण से संबंधित सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन करने बाबत।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक : शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/20–21 दिनांक : 07.06.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2020–21 एवं 2021–22 हेतु कक्षा 9 में नवप्रवेशित छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण की जानी है। साईकिल वितरण हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में निम्नानुसार प्रविष्टियां की जानी है :–

1. **कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक स्तर :–** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों में से निर्देशानुसार नोडल विद्यालयों का चयन कर शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में नोडल विद्यालयों का सृजन किया जाना है। पूर्व में मैप किए गए नोडल विद्यालय शाला दर्पण पर प्रदर्शित है, जिनमें वांछित संशोधन किया जा सकता है।
2. **नोडल विद्यालय स्तर :–** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सृजित नोडल विद्यालय द्वारा साईकिल वितरण हेतु निर्धारित विद्यालयों की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से की जानी है। पूर्व से कार्यरत नोडल विद्यालयों में पहले से मैप किए गए विद्यालय प्रदर्शित हो रहे है, जिनमें वांछनीय संशोधन अविलम्ब किया जाना है।

   नोडल के लिए निर्धारित विद्यालयों को वितरण हेतु आपूर्तिकर्त्ता फर्म से साईकिल प्राप्त होने पर प्राप्ति एवं विद्यालयवार वितरण की प्रविष्टि तत्समय करना सुनिश्चित करें।
3. **विद्यालय स्तर :–** विद्यालय में साईकिल हेतु पात्र छात्राओं की सूचना प्रपत्र–9 में दर्ज की गई "**विद्यालय की दूरी तथा दूरी का कारण**" के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगी, जिसे संस्था प्रधान भली–भांति जांच ले। साईकिल हेतु पात्र छात्राओं के विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लॉगिन से "विद्यालय की दूरी तथा दूरी का कारण " अपडेट करवाकर त्रुटि दूर करें।

   विद्यालय में पूर्व सत्र की शेष बची हुई साईकिलों की संख्या की प्रविष्टि कर नोडल से आवंटित साईकिल प्राप्ति की प्रविष्टि सेव करें। तदुपरान्त विद्यालय की पात्र छात्राओं को साईकिल वितरित करते हुए शाला दर्पण पर वितरण की प्रविष्टि पूर्ण करें।

   जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नोडल सृजन तथा नोडल विद्यालय द्वारा निर्धारित विद्यालयों की मैपिंग दिनांक : 10.07.2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जानी है। तत्पश्चात् विद्यालय स्तर पर निःशुल्क साईकिल योजना में पात्र छात्राओं की सूची प्रदर्शित होगी एवं साईकिल वितरण के आगामी चरणों हेतु मॉड्यूल में विकल्प उपलब्ध होगें।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अधीनस्थ विद्यालयों के प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर